कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,10.338 करोड़ हो गई। संग्रहीत सीमाशुल्क का जीडीपी में अनुपात 1.55 प्रतिशत था। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और प्रतिभूतियों पर छोड़ा गया शुल्क वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 3,40,420 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 495 करोड़ राजस्व वाले 101 पैराग्राफ और ₹ 568 करोड़ वाले दो विशिष्ट विषय अनुपालन पैराग्राफ हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 6430 करोड़ के प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। आज की तारीख तक ₹ 19 करोड़ के 70 पैराग्राफों में कारण बताओ करते हुए नोटिस जारी करते हुए और ₹ 15 करोड़ की वसूली पर निर्णय लेते हुए विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है। ऐसे मामले, जिन्हें विभाग ने स्वीकार कर लिया है और वसूलियाँ की गई हैं/वसूली कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, प्रतिवेदन के अनुलग्नकों में उल्लिखित है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

इस अध्याय में केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी)/डीजीएफटी/ वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त एवं सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संघ वित्तीय लेखाओं, प्रतिवेदनों और संबंधित डाटा से डाटा का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क प्राप्तियों, अयात एवं निर्यात, छोड़े गए शुल्क और आंतरिक लेखापरीक्षा की अनियमितताओं का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

- **मुख्यत: कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण वि.व. 16 के दौरान आयात में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।**

{पैराग्राफ 1.6}

- **जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व. में मामूली वृद्धि हुई थी।**

{पैराग्राफ 1.7}

- **सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व क्रमश: 14 प्रतिशत और 30 प्रतिशत था।**

{पैराग्राफ 1.7}

- **निर्यात में वि.व. 16 के दौरान 9.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 में 162 प्रतिशत था। पांच निर्यात प्रोत्साहन और छूट योजनाओं के कारण इन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया कुल राजस्व 88 प्रतिशत था।**

{पैराग्राफ 1.6,1.9 और 1.10}

अध्याय II: बकायों की वसूली (सीमाशुल्क)

- **विशेष संस्थागत व्यवस्था जैसे कि वसूली सेल बनाने और कार्यबल गठित करने से राजस्व बकायों की वसूली में सुधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा में शामिल तीन वर्षों की अवधि के दौरान ये वसूलियाँ कई प्रकार से बढ़ गई।**

{पैराग्राफ 2.6.1}

- **मार्च 2016 तक अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित राजस्व बकाया वाले 5461 मामलों में से 1213 मामले (22 प्रतिशत) 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। राजस्व बकायों की वसूली बाधित श्रेणी में रूक गई तथा जिसके कारण बकायों का ढेर लग गया, जिसके लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से मामले को देखे जाने की आवश्यकता है।**

{पैराग्राफ 2.8}

- **नमूना जांच किए गए 31 आयुक्तालयों में 14, 18 और 23 आयुक्तालय क्रमश: 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 में निर्धारित वसूली लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।**

{पैराग्राफ 2.9.1}

- **फिरती मामलों की निगरानी न करने, ईओडीसी स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों के गलत निर्णय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जा रही मासिक रिपोर्टों में कमियों के कारण बकायों का ढेर लगना एक अविश्वसनीय निगरानी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक हैं।**
- **लेखापरीक्षा ने ₹ 566 करोड़ के मामलों के अतिरिक्त ₹ 1297 करोड़ के प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण कमियों वाले मामलें देखे।**

{पैराग्राफ 2.6.1 से 2.15}

अध्याय III: सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्य

- **38 आयुक्तालयों के नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने संसाधनों की कमी, समुद्री पेट्रोलिंग लक्ष्य पूरा न होने, पेट्रोलिंग वाहनों का प्रयोग न करने, अपर्याप्त गुप्त सूचना संग्रहण, अप्रचलित टेलीकम्युनिकेशन उपकरण, पुराने हथियारों और अस्त्र-शस्त्रों तथा अप्रशिक्षित स्टॉफ के कारण निवारक कार्यों में कमी देखा।**
- **लेखापरीक्षा ने जब्त किए गए और अधिग्रहीत वस्तुओं के निपटान में देरी तथा अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण के अभाव के कई मामले देखे जिसके कारण भण्डारण स्थल का अवरोधन हुआ और सार्वजनिक कोष को अनावश्यक हानि हुई।**
- **लेखापरीक्षा ने ₹ 1.75 करोड़ और ₹ 5133 करोड़ के प्रणालीगत मामले देखे।**

{पैराग्राफ 3.6 से 3.14}

अध्याय IV: शुल्क छूट/रियायत योजनायें

- ***लेखापरीक्षा ने विभिन्न पद्धतियों द्वारा बीजक के पंजीकरण/बीजक के प्रयोग में छेड़छाड़ के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी औजारों के संबंध में शुल्क क्रेडिट का गलत उपयोग देखा जो धोखाधड़ी की संभावना दर्शाता है। लाइसेंसों के गलत उपयोग में निहित मौद्रिक मूल्य ₹ 51.70 करोड़ था।***

{पैराग्राफ 4.1 से 4.1.5}

- **₹ 409.96 करोड़ का राजस्व आयातकों/निर्यातकों से बकाया था जिन्होंने शुल्कछूट योजना का लाभ लिया था लेकिन ये निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं करते थे।**

{पैराग्राफ 4.2 से 4.7.1}

अध्याय V: सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

- **लेखापरीक्षा ने ₹ 17.48 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के 29 मामले देखे। इनमें से विभाग ने ₹ 8.39 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार कर लिया और 20 मामलों में ₹ 7.55 करोड़ की वसूली की सूचना दी। ये मामले मुख्यत: आयातों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही न करने, फिरती के अधिक भुगतान, वेयरहाऊस में पड़ी वस्तुओं (शराब) के निपटान में देरी और सुरक्षा शुल्क आदि की उगाही न करने के कारण उत्पन्न हुए थे।**

{पैराग्राफ 5.1 से 5.7}

अध्याय VI: वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

- **28 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण कर दिया जिसके कारण ₹ 10.01 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई। इनमें से विभाग ने ₹ 3.26 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 19 मामलों को स्वीकार कर लिया और ₹ एक करोड़ की वसूली की सचना दी।**

{पैराग्राफ 6.1 से 6.10}

अध्याय VII: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- ***दो मामलों में लेखापरीक्षा ने ₹ 2.34 करोड़ के राजस्व वाले मामले में जाली दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) का प्रतिदाय देखा।***

{पैराग्राफ 7.1 और 7.2}

- **लेखापरीक्षा ने ₹ 3.30 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सात अन्य मामलों में छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग देखा। इसमें से**

विभाग ने ₹ 37 लाख के राजस्व प्रभाव वाले चार मामलों को स्वीकार कर लिया और तीन मामलों में ₹ 12 लाख की वसूली की सूचना दी।

{पैराग्राफ 7.3 से 7.7}